महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या– 121 / 2016 / 1198 / 26–3–2016–9(69) / 2006 टी.सी.

प्रेषक,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 21 जून, 2016

विषयः प्रदेश में समाज कल्याण / जनजाति विकास विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों को नवोदय विद्यालय की भांति विकसित किये जाने तथा उक्त विद्यालयों में सृजित पदों के सापेक्ष रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्र संख्या–137 / स0क0 / विकास / आपवि / संविदा भर्ती / 2017, दिनांक–29.04.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समाज कल्याण / जनजाति विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों को शैक्षिक सत्र 2016–17 में समय से सुचारू रूप से संचालन हेतु निम्नलिखित रिक्त पदों को सेवानिवृत्त कार्मिकों के माध्यम से संविदा के आधार पर दिनांक–29.06.2017 (11 माह 29 दिन) तक अथवा नियमित नियुक्ति होने (जो भी पूर्व में घटित हो) तक भरे जाने का निर्णय लिया गया है:–

1	पद का नाम एवं पद संख्या	अभ्युक्ति
1	प्रधानाचार्य (70 पद)	1– प्रधानाचार्य के पद पर संविदा से नियुक्ति के लिए वे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित इण्टर मीडिएट स्तरीय (अशासकीय सहायता प्राप्त / राजकीय इण्टर कालेज) विद्यालय से सेवा निवृत्त प्रधानाचार्य होंगे अथवा सेवा निवृत्त प्रधानाचार्य उपलब्ध न होने की दशा में वर्णित विद्यालयों के सेवा निवृत्त प्रवक्ता (पी0जी0टी0) होंगे। 2– सेवानिवृत्त कार्मिकों की अधिकतम आयु 68 वर्ष होगी एवं वे भारत के निवासी होंगे। 3– नवोदय विद्यालय / केन्द्रीय विद्यालय से सेवा निवृत्त प्रधानाचार्य / उप प्रधानाचार्य को वरीयता प्रदान की जायेगी। 4– हिन्दी, अंग्रेजी में कार्य करने की दक्षता।
2	प्रवक्ता (पी0जी0टी0) (322 पद)	1– प्रवक्ता (पी0जी0टी0) के संविदा पद पर नियुक्ति के लिए वे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित इण्टर मीडिएट स्तरीय (अशासकीय सहायता प्राप्त / राजकीय इण्टर कालेज) विद्यालय से सेवा निवृत्त प्रवक्ता होंगे। 2– सेवानिवृत्त कार्मिकों की अधिकतम आयु 68 वर्ष होगी एवं वे भारत के निवासी होंगे। 3– संबंधित विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नात्कोत्तर अथवा समकक्ष उपाधि। 4– नवोदय विद्यालय / केन्द्रीय विद्यालय से सेवा निवृत्त प्रवक्ता (पी0जी0टी0) को वरीयता प्रदान की जायेगी। 5– संविदा पर सेवानिवृत्त अभ्यर्थी न मिलने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थी, जो सम्बन्धित विषय में परास्नातक तथा बी0एड0 या समकक्ष डिग्रीधारक।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

		6– संविदा पर भर्ती हेतु अभ्यर्थी की आयु सीमा 21 से 40 वर्ष होगी। 7– आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम नियमानुसार छूट देय होगी।
3	सहायक अध्यापक एल0टी0ग्रेड (टी0जी0टी0) (252 पद)	1– सहायक अध्यापक (टी0जी0टी0) के संविदा पद पर नियुक्ति के लिए वे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित हाईस्कूल/इण्टर मीडिएट कालेज (अशासकीय सहायता प्राप्त/राजकीय इण्टर कालेज) विद्यालय से सेवा निवृत्त एल0टी0ग्रेड अध्यापक (टी0जी0टी0) होंगे। 2– सेवानिवृत्त कार्मिकों की अधिकतम आयु 68 वर्ष होगी एवं वे भारत के निवासी होंगे। 3– उत्तर प्रदेश समाज कल्याण अध्यापक सेवा नियमावली 2009 निर्धारित अर्हता के अनुसार शैक्षिक योग्यता। 4– नवोदय विद्यालय/केन्द्रीय विद्यालय से सेवा निवृत्त सहायक अध्यापक (टी0जी0टी0) को वरीयता प्रदान की जायेगी। 5– संविदा पर सेवानिवृत्त अभ्यर्थी न मिलने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थी, जो सम्बन्धित विषय में स्नातक तथा बी0एड0 या समकक्ष डिग्रीधारक। 6– उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0/सी0टी0ई0टी0 की अर्हता हो। 7– संविदा पर भर्ती हेतु अभ्यर्थी की आयु सीमा 21 से 40 वर्ष होगी। 8– आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम नियमानुसार छूट देय होगी।
4	कम्प्यूटर शिक्षक हेतु शैक्षिक एवं अन्य योग्यता एवं रिक्तियों का विवरण (94 पद)	1– राजकीय/सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के सेवानिवृत्त कम्प्यूटर शिक्षक। 2– सेवानिवृत्त कार्मिकों की अधिकतम आयु 68 वर्ष होगी एवं वे भारत के निवासी होंगे। 3–सेवानिवृत्त कार्मिक न मिलने की स्थिति में निम्नानुसार विचार किया जायेगाः– (1)– स्नातक के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा (डोयेक द्वारा प्रदत्त "ए लेवल" प्रमाणपत्र के समकक्ष) अथवा डोयेक द्वारा प्रदत्त "ए लेवल" प्रमाणपत्र अथवा (2)–किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से बी0सी0ए0, मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से एम0सी0ए0 अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से एक वर्षीय स्नातकोत्तर (3)–डिप्लोमा(पी0जी0डी0सी0ए0) के साथ स्नातकोत्तर उपाधि राजकीय आवासीय संस्थाओं से सेवानिवृत्त 4– संविदा पर भर्ती हेतु अभ्यर्थी की आयु सीमा 21 से 40 वर्ष होगी। 5– आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम नियमानुसार छूट देय होगी।
5	व्यायाम शिक्षक (पी0ई0टी0) (90 पद)	1–राजकीय आवासीय विद्यालय से सेवानिवृत्त व्यायाम शिक्षक। 2–सेवानिवृत्त कार्मिकों की अधिकतम आयु 68 वर्ष होगी एवं वे भारत के निवासी होंगे। 3–सेवानिवृत्त कार्मिक न मिलने की स्थिति में निम्नानुसार विचार किया जायेगाः– (क)–मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से शारीरिक शिक्षा में डिग्री (बी0पी0एड0) अथवा डिप्लोमा (डी0पी0एड0) (ख)–अधिमानी योग्यता– 4– संविदा पर भर्ती हेतु अभ्यर्थी की आयु सीमा 21 से 40 वर्ष होगी। 5– आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम नियमानुसार छूट देय होगी।
6	फार्मासिस्ट /नर्स हेतु (38 पद)	1– राजकीय चिकित्सालय/संस्थाओं/राजकीय आवासीय विद्यालयों से सेवानिवृत्त प्रशिक्षित फार्मासिस्ट/नर्स। 2– सेवानिवृत्त कार्मिकों की अधिकतम आयु 68 वर्ष होगी एवं वे भारत के निवासी होंगे। 3–सेवानिवृत्त कार्मिक न मिलने की स्थिति में निम्नानुसार विचार किया जायेगाः– 1– माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से विज्ञान के साथ हाईस्कूल परीक्षा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

		और इण्टरमीडिट परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हों । 2– मान्यता प्राप्त संस्था से नर्सिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान से बी0एस0सी(नर्सिंग) 3– केन्द्र अथवा राज्य के नर्सिंग परिषद में पंजीकरण 4– अस्पताल अथवा क्लीनिक में दो वर्ष का अनुभव। अथवा 5– किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से फार्मेसी में डिग्री या डिप्लोमा धारक। 6– काउन्सिल आफ फार्मेसी मे पंजीकृत होना चाहिए। 4– संविदा पर भर्ती हेतु अभ्यर्थी की आयु सीमा 21 से 40 वर्ष होगी। 5– आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम नियमानुसार छूट देय होगी।

3– प्रवक्ता (पी0जी0टी0), एल0टी0ग्रेड (टी0जी0टी0), कला अध्यापक, कम्प्यूटर शिक्षक, व्यायाम शिक्षक तथा फार्मासिस्ट/नर्स के रिक्त पदों का विवरण (कला अध्यापक, कम्पयूटर शिक्षक एवं व्यायाम शिक्षक के पद सहायक अध्यापक (एल0टी0ग्रेड) के अन्तर्गत सृजित हैं:–

क्रम	1–पदनाम–प्रवक्ता	रिक्तियों की संख्या				
		कुल	अनारक्षित	अनु0जाति	अनु0जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
1	2	3	4	5	6	7
	विषय					
1	अंग्रेजी	43	21	09	01	12
2	हिन्दी	49	25	10	01	13
3	भौतिक विज्ञान	52	26	11	01	14
4	रसायन विज्ञान	42	21	09	01	11
5	गणित	51	25	11	01	14
6	जीव विज्ञान	24	13	05		06
7	अर्थशास्त्र	20	11	04		05
8	इतिहास	15	08	03		04
9	भूगोल	15	08	03		04
10	नागरिक शास्त्र	11	06	02		03
	योग	322	164	67	05	86
	2–पद नाम– सहायक अध्यापक (एल0टी0ग्रेड)					
1	अंग्रेजी	51	26	10	01	14
2	हिन्दी	38	19	08	01	10
3	विज्ञान	69	35	14	01	19
4	गणित	74	37	16	01	20
5	सामाजिक अध्ययन	20	11	04		05
6	कला अध्यापक	70	35	15	01	19
7	कम्प्यूटर शिक्षक	94	47	20	02	25
8	व्यायाम शिक्षक	90	45	19	02	24
	योग	506	255	106	09	136
	3–पद नाम फार्मासिस्ट/नर्स	38	19	08	01	10

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

4– उपरोक्तानुसार प्रस्तावित पदों पर संविदा पर भर्ती पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या–2511 (1)/26–1–2009, दिनांक–30.07.2009 में वर्णित व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा। समिति के सदस्य के रूप में मुख्य विकास अधिकारी, मण्डलीय उपनिदेशक, समाज कल्याण तथा जिलाधिकारी द्वारा नामित 02 अन्य सदस्य, जो अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हों, होंगे। जिला समाज कल्याण अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। उक्त चयन हेतु कम से कम 02 प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराये जायेंगे। विज्ञापन में यह स्पष्ट रूप से प्रकाशित किया जायेगा कि किन–किन आश्रम पद्धति विद्यालयों में उक्त नियुक्तियां की जानी हैं।

5– शासनादेश संख्या–3298/26–1–2014–2673/2013, दिनांक–25.11.20114 के अनुसार प्रधानाचार्य, प्रवक्ता (पी0जी0टी0) एल0टी0ग्रेड अध्यापक (टी0जी0टी0) तथा फार्मासिस्ट/नर्स को सम्बन्धित पदों का अनुमन्य वेतन बैण्ड का न्यूनतम में ग्रेड वेतन जोड़कर तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर देय महंगाई भत्ता के बराबर मानदेय दिए जाने की व्यवस्था है।

सेवानिवृत्त कामिकों को संविदा की धनराशि उनको अन्तिम प्राप्त वेतन से पेंशन को घटाकर मानदेय का भुगतान किया जायेगा। शर्तें एवं प्रतिबंध निम्नवत् हैं:–

(1)– प्रधानाचार्य को संस्था में उपलब्ध निःशुल्क आवास तथा छात्रों के साथ भोजन की सुविधा अनुमन्य होगी।

(2)– संविदा के आधार पर नियुक्ति पूर्णतयाः अस्थायी होगी। संविदा कर्मियों का कार्यकाल केवल 11 माह 29 दिन (29 जून 2017 तक) के लिए होगा। नियमित चयन के फलस्वरूप पद के भरने की स्थिति में संविदा का अनुबन्ध 11 माह 29 दिन के पूर्व किसी भी समय स्वतः निष्प्रभावी हो जायेगी। प्रारम्भ में चयन एक वर्ष के लिए होगा। कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में संविदा का नवीनीकरण किया जा सकता है।

(3) चयनित अभ्यर्थी निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति विकास विभाग के साथ 100 रूपये के नॉन ज्यूडीशियल स्टॉम्प पर करार निष्पादित करेगा। करार के निष्पादन पर होने वाला व्यय चयनित अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जायेगा।

(4)– संविदा पर नियुक्त कार्मिकों के लिए आवश्यक होगा कि वह करार होने के 15 दिन के भीतर संविदा के स्थान पर अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त अवधि में कार्य प्रारम्भ नहीं करने की दशा में संविदा स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(5)– संविदा किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय एक माह की सूचना या अनुबन्ध में वर्णित व्यस्था के अनुसार एक माह की संविदा धनराशि का भुगतान करके समाप्त की जा सकती है ।

(6)– बालिका आश्रम पद्धति विद्यालय में केवल महिला कार्मिकों की तैनाती की जायेगी।

शासनादेश संख्या–2511/26–1–2009–9(69)/2006, दिनांक–30.07.2009, शासनादेश सख्या–2351/26–1–2013–सक–1, दिनांक–11.11.2013, शासनादेश सख्या–2066/26–1–2014–9(69)/1996, दिनांक–19.06.2014 एवं शासनादेश सख्या–3298/26–1–2014–2673/2013, दिनांक–25.11.2014 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

6– प्रधानाचार्य, पी0जी0टी0, टी0जी0टी0 तथा फार्मासिस्ट व स्टाफ नर्स के पदो हेतु प्राप्त आवेदन पत्र जिसमें अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता तथा स्नातकोत्तर, स्नातक, इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांको का भी उल्लेख होगा, संविदा कर्मियों के चयन हेतु 70 प्रतिशत् अंक शैक्षणिक, 10 प्रतिशत् अनुभव व 20 प्रतिशत् साक्षात्कार हेतु अंक निर्धारित किये जायेगें। प्रधानाचार्य, पी0जी0टी0, टी0जी0टी0 तथा फार्मासिस्ट/स्टाफ नर्स पद हेतु साक्षात्कार के आधार पर विभिन्न पदों पर अंक दिये जाने का विवरण निम्नवत होगा :–

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

क्र0 सं0	पद/विषय	कक्षा–10	कक्षा–12	स्नातक	स्नातकोत्तर	बी0एड/डिप्लोमा	अनुभव	योग	साक्षात्कार	कुल योग
1.	प्रधानाचार्य		10	20	30	10	10	80	20	100
2.	प्रवक्ता (पी0जी0टी0)		10	20	30	10	10	80	20	100
3.	टी0जी0टी0 (एल0टी0ग्रेड)		20	30	10	10	10	80	20	100
4.	फार्मासिस्ट/स्टाफ नर्स	10	10			50	10	80	20	100

7– उपर्युक्तानुसार अधिकतम 80 अंक इण्टरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर तथा बी0एड/डिप्लोमा व अनुभव के आधार पर किसी अभ्यर्थी को प्राप्त हो सकेंगे। पद/विषयवार अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर मैरिट सूची बनाई जायेगी। समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। इसी मेरिट सूची से विषयवार पदों के सापेक्ष 03 गुने तक की संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये आमंत्रित किया जायेगा।

8– पुनः यह भी कहना है कि उक्त रिक्त पदों पर सर्वप्रथम सेवानिवृत्त कार्मिकों का हीं चयन किया जाय। संविदा पर सेवानिवृत्त अभ्यर्थी की पर्याप्त संख्या न मिलने की स्थिति में अपरिहार्यता के दृष्टिगत ही संविदा प्रधानाचार्य/शैक्षिक व अन्य शिक्षणेत्तर पदों पर भर्ती किया जाय।

9– शासन की प्रतिबद्धता के दृष्टिगत यह भी निदेशित करना है कि जनपद स्तरीय चयन समिति द्वारा प्रधानाचार्य/शैक्षिक तथा अन्य शिक्षणेत्तर पदों पर भर्ती यथाशीघ्र पूर्ण कर ली जाय ताकि इन विद्यालयों में कक्षाओं का संचालन यथाशीघ्र प्रारंभ हो सके।

भवदीय,

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव

पृ0सं0– 121 /2016/1198 (1)/26–3–2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2– समस्त मडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त वरिष्ठ, कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, अपर जिला विकास अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से समन्वय कर चयन कार्यवाही पूर्ण कराकर माह जुलाई, 2017 में शैक्षणिक कार्य आरंभ कराना सुनिश्चित करें।
6– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3
7– समाज कल्याण अनुभाग–1/2, सैनिक कल्याण/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ/बजट प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश शासन।
8– गार्डफाइल

आज्ञा से,

(विजय प्रसाद त्रिपाठी)
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।